संख्या– /XV-3/2017-08(08)/2016(बजट)

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 22 मई, 2017

विषय– **"राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना" अर्न्तगत वर्ष 2017–18 के प्रथम चार माहों हेतु लेखानुदान से स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सख्या–1837/राज्य मा०इ० योजना/2017–18, दिनांक 05.05.2017 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 31.03.2017 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में **"राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना"** अन्तर्गत लेखानुदान से वर्ष के प्रथम 04 माहों हेतु प्राविधानित धनराशि **₹ 6.670 लाख** के सापेक्ष **₹ 6.67 लाख (₹ छः लाख, सड़सठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 31.03.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. निदेशक, मत्स्य द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों वितरित किया जायेगा तथा तदनुसार शासन को अवगत कराया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी0एम0–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
5. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
7. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान किया जाय एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाय, ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

क्रमशः......2

8. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, (समय–समय पर यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

9. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

10. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

11. योजना के सम्बन्ध में **उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 में लेखाशीर्षक–2405–मछलीपालन–00–आयोजनागत–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–04–राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना–42–अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 31.03.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– 162 (1)/XV-3/2017-08(08)/2016(बजट),तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आइ०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव

क्रमशः......3

शासनादेश सं०—162 /XV-3/2017-08(08)/2016(बजट), दि० 22 मई, 2017 का संलग्नक

राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में वर्ष 2017—18 के प्रथम चार माहों हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 6.67 लाख के सापेक्ष वित्तीय लक्ष्यों एवं भौतिक लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण

1. वित्तीय लक्ष्य:

क्र० सं०	जनपद	मत्स्य आहार वितरण (कुन्तल में)	धनराशि (₹ लाख में)		
			योजना अशं	लाभार्थी अंश	योग
1.	नैनीताल	16	0.280	0.280	0.560
2.	अल्मोड़ा	18	0.315	0.315	0.630
3.	पिथौरागढ़	18	0.315	0.315	0.630
4.	चम्पावत	14	0.245	0.245	0.490
5.	बागेश्वर	14	0.245	0.245	0.490
6.	चमोली	18	0.315	0.315	0.630
7.	पौड़ी	18	0.315	0.315	0.630
8.	उत्तरकाशी	16	0.280	0.280	0.560
9.	टिहरी	16	0.280	0.280	0.560
10.	रूद्रप्रयाग	12	0.210	0.210	0.420
11.	देहरादून	29.15	0.510	0.510	1.020
12.	हरिद्वार	96	1.680	1.680	3.360
13.	ऊधमसिंहनगर	96	1.680	1.680	3.360
	योग	**381.15**	**6.670**	**6.67**	**13.34**

2. **भौतिक लक्ष्य**

<u>मत्स्य आहार वितरण</u>

जनपद	मानक (संख्या में)			कुल लक्ष्य (कुन्तल में)		
	0.01 है. प्रति यूनिट की दर से कुल यूनिट	0.02 है. प्रति यूनिट की दर से कुल यूनिट	0.20 से बड़े क्षेत्रफल हेतु प्रति है. की दर से	2.00 कुन्तल/ यूनिट (0.01 है०) की दर से	6.00 कुन्तल/ यूनिट (0.20 है.) की दर से	10.00 कुन्तल/ है. (0.20 है. से बड़े)
नैनीताल	8	0	0	16	0	0
अल्मोड़ा	9	0	0	18	0	0
पिथौरागढ़	9	0	0	18	0	0
चम्पावत	7	0	0	14	0	0
बागेश्वर	7	0	0	14	0	0
चमोली	9	0	0	18	0	0
पौड़ी	9	0	0	18	0	0
उत्तरकाशी	8	0	0	16	0	0
टिहरी	8	0	0	16	0	0
रूद्रप्रयाग	6	0	0	12	0	0
देहरादून	9	2	0	17.15	12	0
हरिद्वार	0	6	6	0	36	60
उधमसिंहनगर	0	6	6	0	36	60
योग	**89**	**14**	**12**	**177.15**	**84**	**120**

मत्स्य आहार वितरण : 177.15 + 84.00 + 120.00 = 381.15

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव